रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012025-260250
CG-MH-E-15012025-260250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946
No. 40]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSHA 25, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 14 जनवरी, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (पांचवां संशोधन)

विनियमावली, 2025

सं. फेमा. 10 (आर)(5)/2025-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (पाँचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 5 में, उप विनियम (सी) के बाद निम्नलिखित उप विनियम (सीए) अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा: -

"सीए. भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि एक निर्यातक है, माल और सेवाओं के निर्यात के बदले निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ण निर्यात

मूल्य तथा अग्रिम विप्रेषण की वसूली के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है। इस खाते में प्राप्त निधियों का उपयोग प्राप्ति के अगले माह के अंत तक भारत में अपने आयात के लिए भुगतान या भावी प्रतिबद्धताओं के समायोजन के बाद भारत में प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से किया जा सकता है, बशर्ते विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट वसूली और प्रत्यावर्तन संबंधी अपेक्षाएँ भी पूरी होती हों।"

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./896/2024-25]

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 21.01.2016-जीएसआर संख्या 96 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया, यथा: -

जीएसआर संख्या 570 (ई) दिनांक 01.06.2018

जीएसआर संख्या 498 (ई) दिनांक 27.02.2019

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(3)/2024-आरबी, दिनांक 23.04.2024

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(4)/2024-आरबी, दिनांक 21.11.2024

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2025

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025

No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:

1. Short Title and Commencement: -

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 5, after sub-regulation (C) the following sub-regulation (CA) shall be inserted , namely:-

"CA. A person resident in India, being an exporter, may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India, for realisation of full export value and advance remittance received by the exporter towards export of goods or services. Funds in this account may be utilised by the exporter for paying for its imports into India or repatriated into India within a period not exceeding the end of the next month from the date of receipt of the funds after adjusting for forward commitments, provided that the realisation and repatriation requirements as specified in Regulation 9 of Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2015 are also met."

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./896/2024-25]

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R.No.96(E) and subsequently amended vide the following, namely;

G.S.R. No.570(E) dated 01.06.2018
G.S.R. No.160(E) dated 27.02.2019

Notification No.FEMA.10R(3)/2024-RB dated 23.04.2024

Notification No.FEMA.10R(4)/2024-RB dated 21.11.2024

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.15 16:36:47 +05'30'